डॉ. बिभा कुमारी

हिंदी विभाग

विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय, राजनगर

ललित नारायण मिथिला विश्विद्यालय, दरभंगा

बीए हिंदी प्रतिष्ठा, तृतीय वर्ष, षष्ठ पत्र – प्रयोजनमूलक हिंदी

राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

भारतीय संविधान के सत्रहवें भाग के चार अध्यायों में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं। इनके आधार पर ही राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति को समझा जा सकता है। भारतीय संविधान के सत्रहवें भाग के इन चारों अध्यायों के उपर्युक्त अनुच्छेदों (343 से 351) के प्रावधानों को इस प्रकार समझा जा सकता है –

अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है। संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि यानि 26 जनवरी 1965 तक सभी सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पूर्ववत होता रहेगा।

अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के पाँच वर्षों के बाद और फिर प्रारंभ के दस वर्षों पश्चात राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने तथा उन पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए संसद के तीस सदस्यों की एक समिति होगी।

अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा।

अनुच्छेद 346 के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच पत्राचार हेतु संघ की राजभाषा का ही प्रयोग होगा।

अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य के जनसमुदाय का एक पर्याप्त अनुपात अपने द्वारा बोली – समझी जानेवाली भाषा को राज्य द्वारा अभिज्ञात कराना चाहे तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा देने के अधिकारी हैं।

अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा के संबंध में यह व्यवस्था है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्य भाषा उपलब्ध नहीं करवाती है तब तक न्यायालयों में सारे कार्य अंग्रेजी में होंगे।

अनुच्छेद 349 में यह व्यवस्था है कि संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी के स्थान पर कोई दूसरी भाषा प्राधिकृत पाठ के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती।

अनुच्छेद 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है।

अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार हेतु समुचित प्रयत्न करेगी जिससे वह सारे देश में प्रयुक्त हो सके और भारतीय संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके। संविधान में यह भी निर्देश है कि हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को समाहित कर उसके शब्द – भंडार को अधिक से अधिक समृद्ध किया जाय।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संवैधानिक स्थिति के अनुसार हिंदी की अभिवृद्धि, विकास, प्रचार एवं प्रसार का दायित्व विशेष रूप से भारत सरकार के शिक्षा, विधि, गृह तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंपा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गैर सरकारी हिंदी संस्थाओं को आर्थिक सहायता, हिंदी अध्यापकों के लिए अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का खर्च, विश्वविद्यालय स्तर की मानक पुस्तकों का हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशन और अनुवाद, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले साहित्य का अनुवाद, विश्वकोश, शब्दकोश आदि का प्रकाशन तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का हिंदी में विकास आदि अनेक कार्यक्रम हैं।